न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-603RAAbarmer2025-60RTA225 Husain khan ors Vs Mange khan etc

01. हुसेन खां पुत्र मेरदीन खां
02. हासम खां पुत्र मेरदीन खां

जातियान–मुसलमान निवासीयान–इमाम नगर तहसील–फलसुण्ड़ जिला–जैसलमेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. मंगे खां पुत्र होथी खां.
2. अली खां पुत्र हाजी हमल खां
3. निजाम खां पुत्र हाजी हमल खां
4. लाखे खां पुत्र हाजी हमल खां
5. साले मोहम्मद पुत्र फते खां
6. रईस खां पुत्र फते खां
7. नसरदीन पुत्र बच्चू खां
8. सफी खां पुत्र बच्चू खां
9. गफूर खां पुत्र रहमाण खां

   जातियान–मुसलमान निवासियान–इमाम नगर तहसील–फतेहगढ जिला–जैसलमेर।

10. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भीखोडाई
11. भारतीय स्टेट बैंक शाखा पोकरण।
12. पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू।
13. भारतीय स्टेट बैंक शाखा फलसुण्ड।
14. श्रीमान तहसीलदार फलसुण्ड।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2025 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भणियाणा राजस्व प्रार्थना पत्र सं 73/2025 अनवान मंगे खा बनाम हुसैन खां इत्यादि

उपस्थित–
श्री छैलसिंह, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक

नि र्ण य

दिनांक : 23 अप्रैल 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भणियाणा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 73/2025 अनवान मंगे खां बनाम हुसैन खां इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 24 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम इमाम नगर तहसील फलसुण्ड़ के खसरा नम्बर 634/349 रकबा 0.8273 हैक्टेयर में आने–जाने हेतु अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 9 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 280/1, 281, 278, 283, 352/3 में से रास्ता चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2025 के जरिये रेस्पोंडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने खसरा नम्बर 634/349 को मैन रोड़ से जोड़ने हेतु अपीलान्टगण के खेत खसरा संख्या 280, 281/1 मे से रास्ता मांगा है, जबकि खसरा संख्या 280, 281/1 में जिस स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रास्ता उपयोग लेना बताया है, उस स्थान पर न तो कभी मार्ग था, न ही वर्तमान में है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत रास्ते की भूमि के बीच में अपीलान्टगण की रहवासी ढाणीया, पानी के टांके तथा मवेशियों के बाड़े इत्यादि आ रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त स्थान पर रास्ता दिया जाता है तो अपीलान्टगण की रहवासी ढाणीया, पानी के टांके तथा पशुओ के बाड़े इत्यादि नष्ट हो जावेगे तथा अपीलान्टगण को भारी आर्थिक हानि होगी। यह उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन रास्ते से अपीलान्टगण की भूमि दो भागो में विभक्त हो रही है। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस जारी रखते कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की जमीन में आने जाने के लिये पूर्व से ही सीधा तथा चलायमान रास्ता मौजुद है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट अपीलांट्स की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, जिसमें उक्त रास्ते की जांच ही नहीं की गई। अपीलांट्स की ओर से एकपक्षीय मौका रिपोर्ट पर आपत्तियॉ प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 634/349 के दुसरी तरफ एक अन्य रास्ता चलता है जो रास्ता चलायमान होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खातेदारी खेत में आने जाने हेतु नजदीक तथा सुगम रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में अपीलाधीन रास्ते को ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्राप्त मौका रिपोर्ट के

आधार पर धारा 251–ए की मंशाअनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

वहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 03.10.2025 के अवलोकन मुताबिक रेस्पो. संख्या एक के खातेदारी खसरा नंबर 634 / 349 में आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अपीलांट्स की ओर से उक्त मौका रिपोर्ट पर आपत्तियॉ प्रस्तुत कर अपीलाधीन रास्ते की भूमि पर अपने पक्के मकान, पानी का टांका एवं पशुओं के बाड़े होने के कथन किये गये है। अपीलांट्स द्वारा अपने जवाव में प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के आवागमन हेतु मौके पर खसरा नंबर 352 / 2, 352 / 3, 354, 277 एवं 273 में से कदीमी रास्ता चलायमान होने के कथन किये है, अपीलांट्स के उक्त कथनों की ताईद पत्रावली पर उपलब्ध सेटेलाईट मानचित्र से होती है, जिसमें उक्त वैकल्पिक रास्ता दर्शाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत उक्त आपत्तियों का विधिनुसार निस्तारण किये बिना तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश्स धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के के प्रावधानों से परे जाकर विधिविरूद्ध तरीके से अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में बने उनके आवासीय मकानों के उपर से अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानो एवं धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भणियाणा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 73 / 2025 अनवान मंगे खां बनाम हुसैन खां इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2025 अपास्त किया जाता है। साथ ही प्रार्थी / रेस्पो. को मौके पर उपलब्ध वैकल्पिक रास्ते के संबंध में नवीन आवेदन प्रस्तुत कर रास्ता प्राप्ति की छूट प्रदान की जाती है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर